

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-124 / 2020-21


(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुखराम मुण्डा
गोरेती सुरीन

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित														
18.01.21	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>आवेदक सुखराम मुण्डा पिता सनिका मुण्डा ग्राम-सिम्बुकेल, पो0-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने गोरेती सुरीन पति बेरगा बोदरा ग्राम-बुरुडीह, पो0 मरांगहादा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="231 689 1364 869"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">सिम्बुकेल</td> <td rowspan="3">76</td> <td rowspan="3">16</td> <td>242</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>243</td> <td>0.04½</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.14½</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 6686726 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 53 दिनांक 18 .01.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम जेठा मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार गोजा मुण्डा वगैरह के नाम भूमि 34.02 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.83 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 10639.00(दस हजार छः सौ उनचालीस)रु० प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.68½ एकड़ रह जाती है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सुखराम मुण्डा पिता सनिका मुण्डा को गोरेती सुरीन पति बेरगा बोदरा के साथ ग्राम सिम्बुकेल के खाता सं0 16 खेसरा संख्या 242, 243 का कुल रकबा 0.14½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 10639.00(दस हजार छः सौ उनचालीस)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)	सिम्बुकेल	76	16	242	0.10	243	0.04½		0.14½	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)												
सिम्बुकेल	76	16	242	0.10												
			243	0.04½												
				0.14½												


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।